



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 नवम्बर, 2021

कार्तिक 20, 1943 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

11th November, 2021

Dated : _____.
20 Kartika, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/UP/2021(1):- IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, hereby makes further amendments in its Notification No. 429/UP/2021(1), dated 7th September, 2021, as amended from time to time, relating to appointments of Assistant Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh, namely:-

In column 2 of the table appended to the said notification, the existing entry against item No. 42-Hasanpur, "3. Consolidation Officer, Rehra" shall be *substituted* by the entry "3. Block Development Officer, Gangeshwari".

By order,
ASHWANI KUMAR MOHAL,
Secretary.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary, Election.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 11 नवम्बर, 2021
20 कार्तिक, 1943 (शक)

अधिसूचना

संख्या 429/उ0प्र0/2021(1)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13(ग) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 429/उ0प्र0/2021(1), दिनांक 7 सितम्बर, 2021 में आगे संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, मद संख्या 42-हसनपुर के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "3-चकबन्दी अधिकारी, रहरा" के स्थान पर प्रविष्टि "3-खण्ड विकास अधिकारी, गंगेश्वरी" प्रतिस्थापित की जाएगी।

आदेश से,
अश्वनी कुमार मोहल,
सचिव।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव, निर्वाचन।